छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :— असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :—

(1) योजना का प्रावधान :—

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा।

1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं मे से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।

1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी—

क्रं0	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1,000
3.	9 वीं से 12 वीं	1,000	1,500

4.	स्नातक कक्षा जैसे बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम / डिप्लोमा आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0कॉम0 / स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या शोध कार्य करने पर	4,000	5,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

योजना के अंतर्गत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से सत्यापन करवाकर प्रस्तुत करेगा।

4 **स्वीकृति का अधिकार :–**

विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन जिसमें मण्डल द्वारा छात्र के माता/पिता को जारी परिचय पत्र कमांक का उल्लेख भी हो। पात्रता की जांच उपरांत संबंधित जिले सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को स्वीकृति का अधिकार होगा।

5 **भुगतान की प्रकिया :–**

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र छात्रों को उनके स्वयं के खाते में अथवा उनके माता–पिता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जोवगा।

6 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक ...11/3/15...

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............................(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग